

# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर



शाला कोड क्रमांक

142073

सान्यता वृद्धि

## मान्यता प्रमाण-पत्र

### हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा

(01-07-20...17... से 30-06-20...25...) संस्थार्थ

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अधिनियम 1965 क्रमांक 23, सन् 1965 की धारा 8 (च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम के विनियमों के अधीन, एतद् द्वारा अशास् सरस्वती विहार उ.मा.वि

हाउसिंग बोर्ड मिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) को नीचे लिखे तालिका में वर्णित विषयों में निम्नानुसार शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

- शाला द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अधिकृत निरीक्षण अधिकारी या दल को शाला के निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- शाला, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अधिनियम 1965 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, उपनियम आदि के सम्पूर्ण पालन के लिये बाध्य होगा। साथ ही, समय-समय पर इस संबंध में मण्डल एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों आदि का पालन करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शाला का होगा।
- शाला में अध्यनरत सभी छात्र / छात्राओं की व्यक्तिगत सुरक्षा (शाला प्रांगण में) की जिम्मेदारी शाला की होगी।
- शाला द्वारा कोई अनैतिक / असंवैधानिक क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं की जावेगी तथा असामाजिक एवं हिंसात्मक तत्वों को संरक्षण नहीं दिया जायेगा।
- समय-समय पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मांगी गई जानकारी, निर्धारित सामयिक सूचनायें यथा समय शाला द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
- शाला को जिस भवन में, जिन शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मान्यता दी गई है, उस भवन, आधारभूत संरचना एवं शैक्षणिक स्टॉफ को प्रदर्शित करते हुये किसी अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।
- शाला अपने विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों तथा खेलकूद / स्वास्थ्य, अन्य प्रतियोगिताओं के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।
- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर शाला को दी गई मान्यता किसी समय समाप्त की जा सकेगी।
- प्राचार्य इस प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे।

टीप :- मान्यता के संबंध में उद्भूत किसी भी विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित माननीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन ही की जावेगी।

परीक्षा	विषय , संस्कृत	माध्यम
हाईस्कूल	1. भाषा - हिन्दी, अंग्रेजी .... 2. अनिवार्य विषय - गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 3. व्यावसायिक विषय (वैकल्पिक)	हिन्दी / अंग्रेजी
हायर सेकण्डरी	1. विशिष्ट भाषा 2. सामान्य भाषा 3. ग्रुप - बी (1) विज्ञान संकाय (2) वाणिज्य संकाय (3) (4) (5) (6)	हिन्दी / अंग्रेजी

जारी तिथि 09/01/25

सहायक सचिव (मान्यता)  
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
सचिवालय